प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार ।

सेवा में,

सचिव,
खनन,उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

दिनांकः 27 मार्च,2023

संख्याः– 325/खनन–20.23

विषयः– जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) के गठन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्याः–469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 22.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जोकि । मा0उच्च न्यायालय मे योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल उर्फ रमेश काम्बोंज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद मे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) के गठन विषयक हैः–

उक्त के अनुपालन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर जिला निरोधक दल का गठन निम्न प्रकार किया गयाः–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3–	नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी	सदस्य
5–	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
6–	श्री तन्मय वशिष्ठ,महामंत्री श्री गंगा सभा हरिद्वार	सदस्य

तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining force) का गठन निम्न प्रकार किया गयाः–

1–	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक	सदस्य
3–	सम्बन्धित सहायक वनाधिकारी	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी	सदस्य
5–	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
6–	सम्बन्धित ग्रम का ग्राम प्रधान	सदस्य

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार

प्रतिलिपिः–1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।

2– प्रभागीय वनाधिकारी,सा.वा0 वन प्रभाग,हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।

3– अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/प्रशासन हरिद्वार ।

4– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद हरिद्वार को तत्काल अनुपालनार्थ।

5– जिला पंचायतराज अधिकारी,हरिद्वार को इस आशय से कि तदनुसार समस्त ग्राम प्रधानों को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

6– जिला खान अधिकारी,हरिद्वार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

7– श्री तन्मय वशिष्ठ,महामंत्री श्री गंगा सभा हरिद्वार ।

27/03/23

जिलाधिकारी,
हरिद्वार

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार